

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी)
पीठासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.

दावा
1/67 /18

तारीख रजु
25.04.2018

तारीख निर्णय
15.05.2018

उनवान

1. कृष्ण पुत्र स्व० हुकमचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील रामगढ़।


.....असल प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता सं० 401 में आराजी खसरा नम्बर 1541 रकबा 0.18, 1546 रकबा 0.66, 1564 रकबा 0.14, 1565 रकबा 0.13, 1566 रकबा 0.20, 1567 रकबा 0.14, 1568 रकबा 0.21, 1569 रकबा 0.27, 1570 रकबा 0.01, 1571 रकबा 0.24, 1572 रकबा 0.21 हैक्ट० किता 11 रकबा 2.39 हैक्ट० वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित आराजी में से 1/3 हिस्सा जो वादी को अपने पिता की विरासत इन्तकाल व हक परित्याग से प्राप्त हुई है। जो वादी की खुद काशत खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी काबिज रहकर काशत कर रहा है। पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल सं० 820 व 210 दिनांक 21.05.2007 को दर्ज करते समय सहबन गलती से प्रार्थी का नाम कृष्ण पुत्र हुकमचन्द के बजाय किशन पुत्र हुकमचन्द दर्ज कर दिया। जबकि वादी का सही नाम कृष्ण है जो वादी के अन्य समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेज में भी वादी का नाम कृष्ण ही दर्ज है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री इस्तकरारहक व दुरुस्ती इन्द्राज बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी हाल खाता सं० 401 में आराजी खसरा नम्बर 1541 रकबा 0.18, 1546 रकबा 0.66, 1564 रकबा 0.14, 1565 रकबा 0.13, 1566 रकबा 0.20, 1567 रकबा 0.14, 1568 रकबा 0.21, 1569 रकबा 0.27, 1570 रकबा 0.01, 1571 रकबा 0.24, 1572 रकबा 0.21 हैक्ट० किता 11 रकबा 2.39 हैक्ट० वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ़ जिला अलवर के राजस्व अभिलेख को दुरुस्त करते हुए वादी का नाम किशन



(2)

के स्थान पर वादी के राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर सही नाम कृष्ण दर्ज किया जावे।


वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी में दिनांक 15.05.2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड के आधार पर सही नाम किशन के स्थान पर कृष्ण की दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादी का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता सं० 401 में आराजी खसरा नम्बर 1541 रकबा 0.18, 1546 रकबा 0.66, 1564 रकबा 0.14, 1565 रकबा 0.13, 1566 रकबा 0.20, 1567 रकबा 0.14, 1568 रकबा 0.21, 1569 रकबा 0.27, 1570 रकबा 0.01, 1571 रकबा 0.24, 1572 रकबा 0.21 हैक्ट० किता 11 रकबा 2.39 हैक्ट० वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर के राजस्व अभिलेख को दुरुस्त करते हुए वादी का नाम किशन के स्थान पर सही नाम कृष्ण दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत ललावण्डी में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी)
पीठासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.

दावा
1/67 / 18

तारीख रजू
25.04.2018

तारीख निर्णय
15.05.2018

उनवान

1. कृष्ण पुत्र स्व० हुकमचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील रामगढ़।

.....असल प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता सं० 401 में आराजी खसरा नम्बर 1541 रकबा 0.18, 1546 रकबा 0.66, 1564 रकबा 0.14, 1565 रकबा 0.13, 1566 रकबा 0.20, 1567 रकबा 0.14, 1568 रकबा 0.21, 1569 रकबा 0.27, 1570 रकबा 0.01, 1571 रकबा 0.24, 1572 रकबा 0.21 हैक्ट० किता 11 रकबा 2.39 हैक्ट० वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ़ जिला अलवर के राजस्व अभिलेख को दुरुस्त करते हुए वादी का नाम किशन के स्थान पर सही नाम कृष्ण दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)